संख्या- 90/2015/382/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों एवं सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण का संशोधित मानकीरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3891/नम-2, दिनांक 6 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 144/22-4-14-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्ययोजना के अन्तर्गत कारागारों एवं सम्बन्धित न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु विभिन्न श्रेणी की मिट्टी की दरों के अनुमोदन हेतु आहूत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.3.2015 में प्राप्त उनकी संस्तुति (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न) के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत दरें अनुमोदित/निर्धारित करते हैं :-

क्र0	न्यायालय हेतु	लागत/दरें	क्र0	कारागार हेतु	लागत/दरें
1	2	4	5	6	8
1	साधारण मृदा हेतु	रू0 43.50 लाख	1	साधारण मृदा हेतु	रू0 25.84 लाख
2	काली कपासी मृदा हेतु	रू0 45.58 लाख	2	काली कपासी मृदा हेतु	रू0 27.03 लाख
3	लवणयुक्त मृदा हेतु	रू0 46.62 लाख	3	लवणयुक्त मृदा हेतु	रू0 27.62 लाख

2- व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.03.2015 के अनुसार उक्त मानकीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) प्रशासकीय विभाग/महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) संदर्भित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एंव विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन गठित किया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी से सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रशासकीय विभाग/महानिरीक्षक कारागार द्वारा मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्ही प्रायोजनाओं हेतु दी जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-383/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**90**/2015/382(1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0, शासन।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0, शासन।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/12
(4) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in